निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़

प्रकरण सं. 31/12 दि. 24/11/15

पीठासीन अधिकारी - श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा RAS.
उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़

अनवान

श्री मोगीलाल S/o पुरमल जाति यादव नि. प्रतापगढ़ बनाम ① जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ ② तहसीलदार प्रतापगढ़

वाद अन्तर्गत 88-89 R.T.A व धारा 136 L.R. Act

निर्णय

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादि श्री मोगीलाल S/o पुकमल जाति यादव निवासी प्रतापगढ़ ने वाद अ.धा 88-89 R.T.A. एवं 136 L.R. Act पेश कर निवेदन किया कि मौजा गोपालपुरा प.ह. अचलपुर तहसील प्रतापगढ़ की आ.नं. खसरा नं. 1/10 रकबा 6 बिघा किस्म काली तीजिम जो इंतकाल नं. 103 दिनांक 4.5.1984 से पुराने गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गयी जिसका दाखला सं. 2034 से 2037 दर्ज हुआ किन्तु इसके तुरन्त बाद सेटलमेन्ट की गलति से आ.नं. 1/10 रकबा 6 बिघा की नवीन प्रविष्टि हुबहु करने बजाय नये रेकार्ड मे आ.नं. 24 रकबा 0.98 हे. ही दर्ज रेकार्ड खातेदारी मे की है, जबकि नवीन रेकार्ड मे 1.26 हे. भूमि वादी के खाते मे दर्ज होना चाहिये था। सेटलमेन्ट वालो ने 0.28 हे. भूमि राजकिय बिलानाम मगरी आराजी नं. 25 रकबा 1.76 मे दर्ज करदी।

अतः आ.सं. 10 रकबा 6 बिघा को नवीन रेकार्ड मे सरकारी बिलानाम मगरी मे दर्ज की भूमि नवीन आ.नं. 25 रकबा 1.76 हे. मेसे पूर्व तरफ की दक्षिणी रास्ते से लगी हुई कुए वाली 0.28 हे. भूमि को बिलानाम मगरी से कम की जाकर वादि के खाते मे दर्ज की जाने इसी अनुसार रेकार्ड की शुद्धि की जाकर वादि को

प्रतिवादी ने जवाब पेश किया जो शा॰ फा॰ किया
गया। तथा तनकियात कायम की गई तनकियात
एक से तीन तक राजस्व रेकॉर्ड के आधार पर
प्रार्थी/वादी के हक मे पायी गई। तथा शहादत
मे गवाह स्वयं मांगीलाल एवं रमाधा ग्रा॰कारी
के द्वारा निवासी अम्बामाता का खेड़ा के बयानकलम
बंद किये गये जो मौके पर वादि का काबिज होकर
मौके पर काश्त कर रहे है। वादि ने सं. 2034 से
37 की जमाबंदी P2. P2 पेश की प्रदर्श P3 जमाबंदी
2029 पेश की नक्शा प्रदर्श P4 व 5 नया व पुराना
प्रदर्श 6 मिलानखसरा प्रदर्श 7 खिलानाम भूमि सं. 404
46 पेश की प्रदर्श P8 धारा 80 C.P.C. का नोटिस P9
नवीन नक्शा पेश किये। पूर्व मे दिनांक 11/3/15 को
मौके की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई पुन: तहसीलदार द्वारा
जांच रिपोर्ट पेश की गई तहसीलदार ने वादि के
पश्चिम दिशा मे वादि की भूमि स्थित होना बताया है।

मैंने वादि की साक्ष्य एवं राजस्व रेकॉर्ड का
एवं पटवारी तथा तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन
किया प्रथम दृष्ट्या का वादि का वाद सिद्ध होना
पाया जाता है। वादि को पूर्व की 6 बिघा भूमि की
मुकाबले सेटलमेंट मे नवीन नम्बर 24 रकबा
0.98 हे. ही खातेदारी मे दर्ज की और वादी का 0.28 हे.
रकबा इससे लगे हुए नवीन नं. 25 मीन खिलानाम
मगरी मे गलत दर्ज है से मिलाना प्रतीत होता है
अत: वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम गोपालपुरा प.ह.
अचलपुर की खिलानाम आ.नं. 25 मीन मे से सार्वजनिक
रास्ते को छोड़ते हुए वादि की आ.नं. 24 से लगती
हुई पश्चिम तरफ की 0.28 हे. भूमि का वादि को
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता तदनुसार
राजस्व रेकॉर्ड मे खिलानाम से कम कर वादि के
खाते मे दर्ज की जावे। डिक्री मुताबिक जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया